

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/1813

भोपाल, दिनांक 02-07-25

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.05.2025

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	In compliance of condition no. (ii), the State Government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency has deposited Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.	प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 128590/- प्रति हेक्टेयर की दर से वसूल नहीं करने के कारण अन्तर की राशि जमा कराने हेतु निर्देश दिए गए थे, चूंकि प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी अलीराजपुर द्वारा 957780/- की दर से राशि रुपये 21550050/- जमा कराई गई थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार 4.50 हेक्टेयर में हुए उल्लंघन के अन्तर की राशि रुपये 6093225/- इस प्रकार कुल राशि 27643275/- होती है, जो दिनांक 18.09.2024 एवं 20.06.2025 से ऑनलाईन जमा कराई गई है, विवरण संलग्न है।

2	<p>In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also not enclosed.</p>	<p>प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, अलीराजपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.06.2025 से अवगत कराया गया है कि धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन लाईन में अलीराजपुर वन मण्डल के अन्तर्गत 6.654 हेक्टेयर अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारणवश कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहित कर रेलवे विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि संरक्षित वन घोषित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस कारण से आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर निर्माण कार्य किया गया है।</p> <p>वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन रोकने में असमर्थ रहने के संबंध में दोषी पाये गये वन अधिकारियों/कर्मचारियों को लघुषास्ती परिनिन्दा से दण्डित किया गया है, विवरण संलग्न है।</p>
3	<p>In compliance of condition no.(v), the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions.</p>	<p>प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा mitigation plan के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।</p>
4	<p>In compliance of condition no.(viii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency has deposited Rs. 23,37,35,673 against NPV. Therefore the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account.</p>	<p>प्रकरण में भारत सरकार द्वारा NPV की राशि 1228590/- प्रति हेक्टेयर की दर से वसूल नहीं करने के कारण अन्तर की राशि जमा कराने हेतु निर्देश दिए गए थे, चूंकि प्रकरण में आवेदक संस्थान से 957780/- की दर से राशि रुपये 233735673/- जमा कराई गई थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार वन मण्डल अलीराजपुर की 1801970/- एवं वन मण्डल धार की 64286232/- कुल अन्तर की राशि रुपये 66088202/- ऑनलाईन दिनांक 20.06.2025 से जमा कराई गई है, इस प्रकार प्रकरण में कुल राशि 299823875/- होती है, विवरण संलग्न है।</p>

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय




(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/1814
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02-07-25

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
 3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
 4. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।
- की ओर संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

Phon 07292-222250, Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक/चा.वि./2025/5428
प्रति,

धार, दिनांक 28/06/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय :- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा-उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हे0 वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हे0 वनभूमि कुल 244.039 हे0 वनभूमि (ऑनलाइन आवेदित 248.329 हे0) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, व उपयोग पर देने बाबत। (FP/MPRAIL/154962/2022)

संदर्भ :- 01 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली का पत्र दिनांक 07.05.2025

02 आपका पत्र क./1448 दिनांक 14.05.2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्रों से चाही गई 01 से 04 बिंदुओं व जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है—

i	In compliance of condition no. (ii), the State Government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency has deposited Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.	उक्त बिन्दु की जानकारी व मण्डल अलीराजपुर से संबंधित है।
ii	In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also not enclosed.	उक्त बिन्दु की जानकारी व मण्डल अलीराजपुर से संबंधित है।

<p>iii In compliance of condition no.(v), the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions.</p>	<p>उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर दिनांक 28.03.2025 से पत्र के संलग्न प्रेषित की जा चुकी है।</p>
<p>In compliance of condition no.(viii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency has deposited Rs. 23,37,35,673 against NPV. Therefore the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account</p>	<p>आवेदक विभाग द्वारा वन मण्डल धार की शेष राशि रुपये 6,42,86,232 /- ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है।</p>

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धार

प्रक्रमांक/मा.चि./2025/5429

धार, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि :- 01 मुख्य वन संरक्षक, (क्षे0) इन्दौर वृत्त इन्दौर
02 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ, पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वड़ोदरा
03 वनमण्डल अधिकारी, अलीराजपुर
की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धार

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर वनमण्डल (अलीराजपुर म0प्र0)

फारेस्ट कैंपस, खण्डबा बडौदा रोड, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/3103

अलीराजपुर दिनांक : 26.06.2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :-

धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वनमण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हेक्टेयर) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ :-

- 1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.05.2025।
- 2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/1448 दिनांक 14.05.2025।

— ★ —

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र से चाही गई 04 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार सादर प्रेषित है।

I	In compliance of condition no. (II) the State Government has informed that the density of the area of 6.654 ha is alleged to be under violation is violation is 0.4/less of than 0.4 However, as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having Density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27-04-2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency needs to deposited Rs. 2,15,50,050 against against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposited the balance amount Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA accounts.	जिला अलीराजपुर वनमण्डल अलीराजपुर अंतर्गत धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन 6.654 हेक्टेयर प्रकरण अंतर्गत 4.50 हेक्टेयर वन भूमि पर हुए उल्लंघन के अंतर की राशि 60,93,225/- रुपये आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.06.2025 को जमा कर दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न।
II	In compliance of condition no. (iii) the State Government has not initiated action under section 3 ^a and/or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provision of the said. Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also no enclosed.	धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन 6.654 हेक्टेयर अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारणवश कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहित कर रेलवे विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि संरक्षित वन घोषित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस कारण से आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर निर्माण कार्य किया गया है। संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन रोकने में असमर्थ रहने के संबंध में दोषी पाये गये वन अधिकारीयों/कर्मचारियों को लघुषास्ती परिनिन्दा से दण्डित किया गया।
III	In compliance of condition no.(v) the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisoin.	आवेदक विभाग से संबंधित है।
IV	In compliance of condition no. (viii), it is to mention that as per details available in online Part-II proposed	जिला अलीराजपुर वनमण्डल अलीराजपुर अंतर्गत धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज

<p>area for diversion is having 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27-04-2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency needs to deposited Rs. 23,37,35,673 against against NPV. The user needs to deposited the balance amount Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA accounts.</p>	<p>रेलवे लाईन प्रकरण अंतर्गत प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के अंतर की राशि 18,01,970/- रुपये आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन कैम्पा मंद में दिनांक 17.06.2025 को जमा कर दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न।</p>
--	---


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

पृष्ठ क्रमांक/मा.चि./2025/3104
प्रतिलिपी:-

अलीराजपुर दिनांक : 26.06.2025

1. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;



: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the challan has been generated.



: This icon shows that the payment yet to be made.



: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/RAIL/154962/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/RAIL/154962/2022) Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	RAIL1549622022395	08 Jul 2024	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 66088202/- Total : 72181427/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 29 May 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 17 Jun 2025 Transaction Date : 20 Jun 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/290520251223359771_FPMPrAIL1549622022_) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RAIL1549622022395)
2	FP/MP/RAIL/154962/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/RAIL/154962/2022) Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	RAIL1549622022058	08 Jul 2024	CA: 236980275/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- Total : 236980275/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 26 Dec 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 27 Dec 2024 Transaction Date : 16 Jan 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/261220241448072473_FPMPrAIL1549622022_) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RAIL1549622022058)
3	FP/MP/RAIL/154962/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/RAIL/154962/2022) Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	RAIL1549622022996	08 Jul 2024	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 233735673/- Total : 255285723/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 29 Aug 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 03 Sep 2024 Transaction Date : 18 Sep 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/280820241305502703_FPMPrAIL1549622022_) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RAIL1549622022996)

Western Railway



Padam Singh Meena, IRSE
Deputy Chief Engineer/C/III.
Mob. No. +91-9274699369

Office of the,
Dy. Chief Engineer(Const)III,
Pratapnagar, Vadodara-04
Email.dycec4brc@gmail.com

No. BRC W/115/30 (Forest)

Date: 26.06.2025

To,
Additional Principal Chief Conservator of Forest [Land Management]
Van Bhavan,
Madhya Pradesh
Bhopal - 462003

[Kind attention: Sri H. S. Mohanta]

Sub: Proposal for diversion of forest land 244.039Hec. for construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar. (Proposal No. FP/MPRAIL/154962/2022)

Ref: As listed below:

SN	Letter No.	Sender	Date of Issue of letter
1	2025/2530	DFO/Alirajpur letter demanding balance payment of Rs. 60,93,225/- for condition 1 and Rs 18,01,970/- for condition 2. [copy enclosed]	27.05.2025
2	2025/4180	DFO/Dhar letter demanding balance payment of Rs 6,42,86,232/- [copy enclosed]	16.05.2025
3	BRC/W/115/30 (Forest)	Submitting item/parawise remarks/compliance of user agency/Railway in respect of 04 observations of MoEF received vide its letter dated 07.05.2025 (copy enclosed)	13.05.2025
4	Nil	Assistant Inspector General of Forests, Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi.	07.05.2025
5	,Q&5@1259@2023@10&11@1314	APCCF/L&M/Bhopal, MP State Forest Department to MoEF&CC/New Delhi.	28.04.2025
6	BRC/W/115/29 (forest)	User Agency/Railways letter of even no (in 20 pages) submitting reply/compliance on MoEF & CC/New Delhi's letter under reference (4) below.	28.03.2025
7	NIL	Assistant Inspector General of Forests, MoEF &CC's letter furnishing 08 short comings in the compliance submitted in respect of Stage - I approval.	18.03.2025



अपर प्रधान मुख्य वन अधिकारी (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, 1
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

26.06.25

8	,Q&5@1259@2023@10&11@334	APCCF/L&M/Bhopal, MP State Forest Department to MoEF&CC/New Delhi submitting compliance on conditions of Stage-I	24.01.2025
9	NIL	Assistant Inspector General of Forests, MoEF &CC's letter communicating Stage-I approval Delhi. Stage-I Approval.	08.07.2024

Dear Sir,

In respect of obtaining Stage-II approval, MoEF vide its letter dated 07.05.25 has raised 04 [four] observations, which are infact the same observations as contained in the previous compliance, dated 28.04.25 in respect of previous 08 [eight] observations.

The aforesaid 04 [four] observations of MoEF, dated 07.05.25 are in respect of condition number (ii), (iii), (v) & (vii).

The detailed reply in respect of condition number (iii) & (v) as already submitted, vide this office letter dated 13.05.25, [copy enclosed], stands hold good.

Now, in respect of compliance of condition no (ii) and (vii) towards balance payments, as per observations of MoEF considering NPV rate to be taken as per "moderately dense forest" and consequently, the demand letters raised by the respective DFOs, vide reference (1 & 2) above (copy enclosed), **totaling to Rs 7,21,81,427/- has since paid by the user agency/Railway, as per details given below**, thus, the above two conditions also stand complied in full & final as

Condition No.	OBSERVATIONS	REPLY/COMPLIANCE
ii	In compliance of condition no. (ii), the State government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 04. and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of	<p>Out of total proposed area of 6.654 Ha under diversion in jurisdiction of DFO/Alirajpur, the area under violation having alleged illegal construction, as certified by DFO/Alirajpur was 4.50 Ha.</p> <p>Previously, as per the then demand of MP State Forest Department an amount of Rs 2,15,50,050/- was deposited by Railway in CAMPA funds at the rate of Rs 9,57,780/- per hectare for the aforesaid area of 4.50 Ha under violation considering eco class-III open forest.</p> <p>Now, as per observation of MoEF, the NPV rate of Rs 12,28,590/- has been advised to be taken considering Moderately Dense Forest.</p> <p>In view of above, the difference in NPV rate works out to be Rs 2,70,810 per Ha [i.e. Rs 12,28,590/- – Rs 9,57,780/-].</p> <p>Accordingly, the balance amount works out to be Rs 60,93,225/- based on area under violation of 4.50 ha x differential rate @ Rs 2,70,810/- per ha x 5 times.</p>

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम खंडे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

[Signature]
26.06.25

	<p>the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density 0.4 pertains to MDF. Therefore, the user agency needs to deposited Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However, the user agency has deposited Rs.2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.</p>	<p>DFO/Alirajpur, vide his letter, dated 27.05.2025 [copy enclosed] has submitted demand for deposition of aforesaid balance amount of Rs 60,93,225/-</p> <p>Accordingly, the aforesaid balance amount of Rs 60,93,225/- has since been deposited by Railway to CAMPA funds of MP forest department, as per details given below :</p> <table><tr><td>Party Name</td><td>MP CAMPA</td></tr><tr><td>Account No</td><td>1507659154962395</td></tr><tr><td>Amount [Rs}</td><td>72181427</td></tr><tr><td>UTR No</td><td>SBIN525171474577</td></tr><tr><td>UTR date</td><td>20.06.2025</td></tr></table> <p>In view of above, this condition of MoEF stands complied in full & final by user agency/Railway.</p>	Party Name	MP CAMPA	Account No	1507659154962395	Amount [Rs}	72181427	UTR No	SBIN525171474577	UTR date	20.06.2025
Party Name	MP CAMPA											
Account No	1507659154962395											
Amount [Rs}	72181427											
UTR No	SBIN525171474577											
UTR date	20.06.2025											
vii	<p>In compliance of condition no.(vii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore, the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV.</p>	<p>The total proposed area of diversion is 244.039 ha which includes 237.385 ha under DFO/Dhar and 6.654 ha under DFO/Alirajpur.</p> <p>Previously, as per the then demand of MP State Forest Department an amount of Rs 23,37,35,673/- was deposited by Railway in CAMPA funds towards NPV at the rate of Rs 9,57,780/- per hectare for the aforesaid total area of 244.039 ha considering Eco-Class III : open forest.</p> <p>Now, as per observation of MoEF, the NPV rate of Rs 12,28,590/- has been advised to be taken considering Moderately Dense Forest.</p> <p>In view of above, the difference in NPV rate works out to be Rs 2,70,810 per Ha [i.e. Rs 12,28,590/- – Rs 9,57,780/-].</p> <p>Accordingly, the balance amount works out to be Rs 6,60,88,202/- based on total area of 244.039 ha x differential rate @ Rs 2,70,810/- per ha .</p> <p>DFO/Alirajpur, vide his letter, dated 27.05.2025 [copy enclosed] and DFO/Dhar vide his letter dated 16.05.25 [copy enclosed] have submitted demand for deposition of aforesaid balance amount of Rs 6,60,88,202/- [cumulative]</p> <p>Accordingly, the aforesaid balance amount of Rs 6,60,88,202/- has since been deposited by Railway to</p>										

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

[Signature]
26.06.25

	<p>However, the has deposited Rs. 23,37,35.673 against NPV. Therefore, the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account.</p>	<p>CAMPA funds of MP forest department, as per details given below :</p> <table><tr><td>Party Name</td><td>MP CAMPA</td></tr><tr><td>Account No</td><td>1507659154962395</td></tr><tr><td>Amount [Rs]</td><td>72181427</td></tr><tr><td>UTR No</td><td>SBIN525171474577</td></tr><tr><td>UTR date</td><td>20.06.2025</td></tr></table> <p>In view of above, this condition vii of MoEF stands complied in full & final by user agency/Railway.</p>	Party Name	MP CAMPA	Account No	1507659154962395	Amount [Rs]	72181427	UTR No	SBIN525171474577	UTR date	20.06.2025
Party Name	MP CAMPA											
Account No	1507659154962395											
Amount [Rs]	72181427											
UTR No	SBIN525171474577											
UTR date	20.06.2025											


4.0 Other conditions of MoEF, pertaining to its letter dated 07.05.25, have already been complied with by the user agency/Railway as per communications done in terms of this office letter, dated

5.0 It is submitted that the subject single proposal includes two block sections of the project (Jobat-Dekakund-Tanda Road) involving 27 kms length, which are targeted for commissioning by Railway in this current FY and where works are in advance stage of completions, including the respective forest areas (6.654 ha under DFO/Alirajpur and 5.528 Ha under DFO/Dhar), after getting working permission from MP state Forest Department vide letter, dated 24.01.2025 which is for a period upto 30.06.2025 as of now. Stage-II approval is required at the earliest for commissioning of the aforesaid sections, in the larger public interest.

6.0 It is requested that Stage-II approval from MoEF&CC may please be arranged at the earliest, as the User Agency/Railway has already complied with the conditions of Stage-I.

DA: As above

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

Your's sincerely,

(Padam Singh Meena)
Dy. Chief Engineer (Construction)III,
Western Railway, Vadodara-390 004

Copy to.

1. **Kind attention: Shri Suneet Bharadwaj, Assistant Inspector General of Forests, Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indra Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jor Bag Road, New Delhi – 110003.**
2. CPM/C-II/BRC for kind information please.
3. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF & CC, New Delhi.
4. DFO/Alirajpur for information please
5. DFO/Dhar for information please.

Payment ID	Party Code	Party Name	IFSC Code	Account No.	Amount	UTR No.	UTR Date	Settlement Date	Paid Amount	UTR Date	Details
08312500560000001	0083100022	JALARAM TRAVELS	SBIN0010968	32546633854	92294	406021774	20/06/2025	21/06/2025	92294		Details
08312500560000002	MM09-94558	AMITKUMAR P PATEL SURAT	UTIB00000047	923030038020848	231713	SBIN525171474566	20/06/2025	21/06/2025	231713		Details
08312500560000003	0083100021	DYCEE C RTM	SBIN00IMPRST	100012788295	3438	406670201	20/06/2025	21/06/2025	3438		Details
08312500560000004	E083100026	EXPRESSION 360 SERVICES INDIA PVT LTD	UBIN0802875	028711100000496	46653	SBIN525171474567	20/06/2025	21/06/2025	46653		Details
08312500560000005	H083100025	HOG PROJECTS	HDFC00000533	59209879160666	8751269	SBIN525171473381	20/06/2025	21/06/2025	8751269		Details
08312500560000006	MM09-80025	ISC PROJECTS PRIVATE LIMITEDPUNE	RATN00000157	609000255340	34635698	SBIN525171474565	20/06/2025	21/06/2025	34635698		Details
08312500560000007	M083100200	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507659154962395	72181427	SBIN525171474577	20/06/2025	21/06/2025	72181427		Details



Padam Singh Meena, IRSE
Deputy Chief Engineer/C/III.
Mob. No. +91-9274699369

Western Railway



Office of the,
Dy. Chief Engineer(Const.)III,
Pratapnagar, Vadodara-04
Email.dycec4brc@gmail.com

No. BRC/W/115/30 (Forest)

Date: 13.05.2025

To,
Additional Principal Chief Conservator of Forest [Land Management]
Van Bhavan,
Madhya Pradesh
Bhopal - 462003

[Kind attention: Sri H. S. Mohanta]

Sub: Proposal for diversion of forest land 244.039Hec. for construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar. (Proposal No. FP/MPRAIL/154962/2022)

Ref: As listed below:


SN	Letter No.	Sender	Date of Issue of letter
1	Nil	Assistant Inspector General of Forests, Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi. (copy enclosed)	07.05.2025
2	एफ-5/1259/20 23/10-11/1314	APCCF/L&M/Bhopal, MP State Forest Department to MoEF&CC/New Delhi.	28.04.2025
3	BRC/W/115/29 (forest)	User Agency/Railways letter of even no (in 20 pages) submitting reply/compliance on MoEF & CC/New Delhi's letter under reference (4) below.	28.03.2025
4	NIL	Assistant Inspector General of Forests, MoEF & CC's letter furnishing 08 short comings in the compliance submitted in respect of Stage - I approval.	18.03.2025
5	एफ-5/1259/20 23/10-11/334	APCCF/L&M/Bhopal, MP State Forest Department to MoEF&CC/New Delhi submitting compliance on conditions of Stage-I	24.01.2025
6	NIL	Assistant Inspector General of Forests, MoEF & CC's letter communicating Stage-I approval Delhi. Stage-I Approval.	08.07.2024

13.05.25
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.R.LY, Pratapnagar, VADODARA


Dear Sir,

- 1.0 In respect of compliance/reply on 08 observations, dated 18.03.2025 of MoEF&CC, which has since been submitted vide your, letter 28.04.2025, MoEF &CC has further raised 04 (four) observations, vide it's letter, dated 07.05.2025, which are in-fact the same observations, as contained in the previous compliance, dated 28.04.2025.
- 2.0 In respect of above matter, the User Agency/Railway vide it's letter of even number, dated 28.03.2025 had already submitted detailed reply and compliance on all 08 observations, dated 18.03.2025 of MoEF&CC to your office and pursuant to this reply/compliance from your side was submitted to MoEF&CC, vide letter, dated 28.04.2025.
- 3.0 However, in reference to further 04 (four) observations received from MoEF&CC, vide letter dated 07.05.2025, the item/para wise remarks /compliance of this office are again submitted as under.


S. No.	OBSERVATIONS	REPLY/COMPLIANCE
i	In compliance of condition no. (ii), the State government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 04. and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density 0.4 pertains to MDF. Therefore, the user agency needs to deposited Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However, the user agency has deposited Rs.2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.	<p>User Agency/Railway had deposited Violation amounts based on the demand/challan amounts raised by MP State Forest Department, in which NPV rate was taken at Rs 9,57,780/- per hectare considering Eco-Class III: Open forest, which is in accordance with Revised NPV rates issued vide MoEF&CC/New Delhi's letter, dated 06.01.2022.</p> <p>The classification of forest at the respective forest area involved in proposed/subject diversion i.e. whether falling in open forest, moderately dense forest or dense forest etc is the prerogative of the concerned officials of State Forest Department, based on actual conditions of the forest at site, which is deemed to have been decided by the concerned forest officials of MP State Forest Department duly taking into account due considerations of relevant factors such as forest surveys, actual forest conditions, forest ecological characteristics, biodiversity, ecological assessments and significance of the forest area to support the classification of the diversion forest area as open forest.</p> <p>In present case, concerned DFO/Alirajpur vide his letter no. 1981 dated 21.04.2025 has already</p>


उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.RLY, Pratapnagar, VADODARA


	<p>communicated that the proposed diversion of forest land of area 6.654 ha falls in the Eco class-III, Open Forest (0.4 or less). <u>There is no tree on the affected forest area.</u></p> <p>Copy of aforesaid letter of DFO/Alirajpur, which is on record, is again submitted herewith as Annexure-C.</p> <p>The above certification & fact have already been submitted by the MP State Forest Department to MoEF&CC under reply of item 1 of it's letter, dated 28.04.25</p> <p>The User Agency/Railway has already paid the violation amount for 05 times of NPV at the rate of Rs 9,57,780/- per hectare pertaining to Eco-Class-III "Open Forest", as per the demand amounts & challans generated by State Forest Department.</p> <p>It is matter of fact that the concerned diversion area does not involve any moderately dense forest, which is clearly appreciable from the actual forest condition. The concerned DFOs while working out the NPV rate, have considered open forest, as per actual condones at site.</p> <p>This observation of MoEF, which basically involves considering proposed diversion area as moderately dense forest in place of open forest for the stated forest density of 0.4, is involving an additional financial impact of Rs 1,93,25,139 on user agency (Railway) despite having the fact on record that the proposed diversion area has already been classified under open forest by MP State Forest Department, and accordingly amounts have been deposited by Railway to CAMPA funds and there is no tree on the affected area.</p> <p>In view of above, it is again submitted that the User Agency/Railway has already paid the due and applicable amount in the CAMPA Funds, as per actual condition of forest (Open forest), as already certified by MP State Forest</p>
--	---


 13.05.25
 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
 पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
 Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
 W.RLY, Pratapnagar, VADODARA


		<p>Department and now the User Agency/Railway does not require to pay any additional amount on the ground of considering affected forest area as moderately dense forest, where even there no tree,</p> <p>So, it is requested that this observation of MoEF&CC should be considered already complied with by the User Agency/Railway.</p>																								
ii	<p>In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also not enclosed.</p>	<p>In support of the documentary evidence that the area was not recorded as Forest in the revenue record, following documents are submitted:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SN</th><th>DESCRIPTION</th><th>IN PAGES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Joint inspection report between Forest & Revenue Department. (Annexure-A-I).</td><td>03</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Award Copy of Concerned Village. (Annexure-A-II).</td><td>09</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Survey number with farmer details and Paid amount. (Annexure-A-III).</td><td>10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Bandovast year 1956-57. (Annexure-A-IV).</td><td>03</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Bandovast year 1991-92. (Annexure-A-V).</td><td>03</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Current situation of land According to Bandovast 1956-57 and 1991-92. (Annexure-A-VI).</td><td>04</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Old Forest Record. (Annexure-A-VII).</td><td>03</td></tr> </tbody> </table> <p>Perusal of above documents clearly demonstrate that the area was not recorded as forest in the revenue record.</p> <p>So, it is requested that this observation of MoEF&CC should be considered for closure in view of the action taken</p>	SN	DESCRIPTION	IN PAGES	1	Joint inspection report between Forest & Revenue Department. (Annexure-A-I).	03	2	Award Copy of Concerned Village. (Annexure-A-II).	09	3	Survey number with farmer details and Paid amount. (Annexure-A-III).	10	4	Bandovast year 1956-57. (Annexure-A-IV).	03	5	Bandovast year 1991-92. (Annexure-A-V).	03	6	Current situation of land According to Bandovast 1956-57 and 1991-92. (Annexure-A-VI).	04	7	Old Forest Record. (Annexure-A-VII).	03
SN	DESCRIPTION	IN PAGES																								
1	Joint inspection report between Forest & Revenue Department. (Annexure-A-I).	03																								
2	Award Copy of Concerned Village. (Annexure-A-II).	09																								
3	Survey number with farmer details and Paid amount. (Annexure-A-III).	10																								
4	Bandovast year 1956-57. (Annexure-A-IV).	03																								
5	Bandovast year 1991-92. (Annexure-A-V).	03																								
6	Current situation of land According to Bandovast 1956-57 and 1991-92. (Annexure-A-VI).	04																								
7	Old Forest Record. (Annexure-A-VII).	03																								


 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
 पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
 Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
 W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

		compliance status already submitted to MoEF vide letter dated 28.04.2025 and in view of the above documents submitted herewith.
iii	In compliance of condition no.(v), the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions.	<p>The proposed diversion area does not involve any notified wild life territory.</p> <p>This fact has already been validated by the MP State Forest Department, vide it's reply under item 3 of its letter, dated 28.04.2025 which has clearly gf; stated that the proposed railway line does not include any notified wild life area.</p> <p>Moreover, the subject forest area doesn't involve obtaining any wild life permission from ab initio in addition to proposed diversion.</p> <p>However, Railway by virtue of the technical requirements has already planned provision of openings/underpasses by way of providing viaducts at required locations and bridges which will inter-alia facilitate in animal passage and mitigations, if any. (Annexure-B) 02 page.</p> <p>With implementation of above bridge openings/viaducts/underpasses, about 42% of the railway track in forest area would be under mitigation measures. Tentative cost of such mitigation measures is about <u>Rs 400 crores</u> for which financial provisions are available.</p> <p>In view of above, this observation of MoEF may please be considered as complied with.</p>
iv	In compliance of condition no.(vii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore, the user agency needs to	<p>User Agency/Railway had deposited NPV amounts based on the demand/challan amounts raised by MP State Forest Department, in which NPV rate was taken at Rs 9,57,780/- per hectare considering Eco-Class III: Open forest, which is in accordance with Revised NPV rates issued vide MoEF&CC/New Delhi's letter, dated 06.01.2022.</p> <p>The classification of forest at the respective forest area involved in proposed/subject diversion i.e. whether falling in open forest, moderately dense</p>


 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
 पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
 Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
 W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

<p>deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However, the has deposited Rs. 23,37,35.673 against NPV. Therefore, the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account.</p>	<p>forest or dense forest etc is the prerogative of the concerned officials of State Forest Department.</p> <p>In present case, concerned DFO/Dhar vide item no. (v) of his letter no. 3345 dated 23.04.2025 has already communicated that the proposed diversion of forest land of area 237.385 ha, which falls, which falls in his jurisdiction, is in the Eco class-III, Open Forest (0.4 or less).</p> <p>Copy of aforesaid letter of DFO/Dhar, which is on record, is again submitted herewith as Annexure-C.</p> <p>The above certification & fact have already been submitted by the MP State Forest Department to MoEF&CC under reply, dated 28.04.25.</p> <p>This observation of MoEF&CC, which basically involves considering proposed diversion area as moderately dense forest in place of open forest for the stated forest density of 0.4, is involving an additional financial impact of Rs 6,60,88,202 on user agency (Railway) despite having the fact on record that the proposed diversion area has already been classified under open forest by MP State Forest Department, and accordingly amounts have been deposited by Railway to CAMPA funds.</p> <p>In view of above, it is again submitted that the User Agency/Railway has already paid the due and applicable amount in the CAMPA Funds, as per actual condition of forest (Open forest), as already certified by MP State Forest Department and now the User Agency/Railway does not require to pay any additional amount on the ground of considering affected forest area as moderately dense forest.</p> <p>So, it is requested that this observation should be considered already complied with by the User Agency/Railway.</p>
--	---


 13.05.25
 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
 पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
 Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
 W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

4.0 It is submitted that the subject single proposal includes two block sections of the project (Jobat-Dekakund-Tanda Road) involving 27 kms length, which are targeted for commissioning by Railway in this current FY and where works are in advance stage of completions, including the respective forest areas (6.654 ha under DFO/Alirajpur and 5.528 Ha under DFO/Dhar), after getting working permission from MP state Forest Department vide letter, dated 24.01.2025 which is for a period upto 30.06.2025 as of now. Stage-II approval is required at the earliest for commissioning of the aforesaid sections, in the larger public interest.

5.0 It is requested that Stage-II approval from MoEF&CC may please be arranged at the earliest, as the User Agency/Railway has already complied with the conditions of Stage-I.

DA: As above

Your's sincerely,

(Padam Singh Meena)

Dy. Chief Engineer (Construction) III,

Western Railway, Vadodara-390 004

Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV

W.R.E.Y, Prataphagar, VADODARA

Copy to.

1. **Kind attention: Suneet Bharadwaj, Assistant Inspector General of Forests,** Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indra Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jor Bag Road, New Delhi – 110003.
2. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF & CC, New Delhi.

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.
Dated: 07-05-2025

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 244.039 ha (237.385 ha Dhar & 6.654 ha Alirajpur Forest Division) Reserved Forest land for construction of Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge Railway line in favour of Dy. Chief Engineer (Construction-II) Western Railway in Dhar & Alirajpur Districts of Madhya Pradesh (Online No. FP/MP/RAIL/154962/2022) -reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Government of Madhya Pradesh's letter no. F-5/1259/2023/10-11/1314 dated 28.04.2025 on above subject submitting information in response to the observation made by Ministry vide letter dated 18.03.2025 and to say that after examination of the said compliance report the following shortcomings has been observed:

- i. In compliance of condition no. (ii), the State Government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency has deposited Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.
- ii. In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also not enclosed.
- iii. In compliance of condition no.(v), the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions.

- iv. In compliance of condition no.(viii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency has deposited Rs. 23,37,35,673 against NPV. Therefore the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account.

In view of above, the State Government is requested to submit information as indicated above, for further consideration of the proposal in the Ministry.

Yours faithfully,

Digitally signed by
Suneet Bhardwaj
Date: 07-05-2025
23:00:28

Sd/-
(Suneet Bhardwaj)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The PCCF -cum-HoFF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
2. The Dy. DGF (Central), Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC, New Delhi.



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) / दण्डाधिकारी जोबट जिला अलीराजपुर म.प्र.

E-mail:- jobatsdm@gmail.com Phone No. 07393-288031

क्र./129/रीडर /2023

जोबट, दिनांक 20/01/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला-अलीराजपुर

विषय:- ग्राम डेकाकुण्ड पटवारी हल्का न. 41 अंतर्गत धार-छोटाउदयपुर रेलवे लाईन अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जाँच के संबंध में।

सन्दर्भ:- पश्चिम रेलवे पत्र क्रमांक BRC/W/115/06/(FOREST) दिनांक 09/01/2013 ।

--o--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार ग्राम डेकाकुण्ड स्थित निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 की मोका जाँच राजस्व विभाग, वन विभाग एवं रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जाँच में विभाग वार निम्नलिखित बिन्दु पाए गये:-

1. रेलवे विभाग द्वारा ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत की गई शासकीय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0028/अ-19(3)/2019-20 अंतर्गत अधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तान्तरित की गई है। इस प्रकार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत की गई निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82(3)/2016-17 अंतर्गत अधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तान्तरित की गई है। वर्तमान में बिन्दु क्र. 1 अनुसार निर्माणाधीन धार-छोटाउदयपुर रेलवे लाईन ग्राम डेकाकुण्ड के सर्वे न. 438,439 अंतर्गत निर्माण होने से वन विभाग द्वारा आपत्ति ली गई है। उक्त संबंध में रेलवे विभाग द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा उक्त भूमि का सत्यापन चाहा गया है। रेलवे विभाग अनुसार उक्त अधिग्रहित की गई शासकीय एवं निजी भूमि के संबंध में विधिवत अवार्ड पारित दिनांक 25/01/2018 के पश्चात रेलवे निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो वर्तमान लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। वन विभाग द्वारा अवार्ड पारित होने के पश्चात विगत 3 वर्षों में केसो भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई जबकि उक्त अवार्ड का विधि पूर्वक दावा आपत्ति के संबंध में विज्ञापन प्रकाशन किया गया था। वुकी रेलवे विभाग का कार्य वर्तमान में पूर्ण होने की स्थिति में है ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा आपत्ति लिये जाने से रेलवे विभाग का कार्य रुका हुआ है।
2. उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत स्थित सर्वे न. का अवलोकन राजस्व विभाग के वर्तमान राजस्व रिकार्ड, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार किया गया। मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 के अनुसार निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 क्रमशः पुराने सर्वे न. क्रमशः 41 रकबा 17.66 एकड़ = 7.15 हे. मद चरोखर, सर्वे न. 42 रकबा 135.14 एकड़ = 54.69 हे. काबिल कास्त सर्वे न. 81 रकबा 31.80 एकड़ = 15.70 हे. मद

काबिल कास्त एवं सर्वे न. 80 रकबा 78.82 एकड = 31.90 हे. मद चरोखर होना पाया गया है। पुराने सर्वे न. 41 से वर्तमान में सर्वे न. 438 रकबा 4.77 हे. मद चरोखर व सर्वे न. 439 रकबा 1.83 हे. मद चरोखर बने होना पाये गये। पुराने सर्वे न. 81 से वर्तमान के सर्वे न. 480 रकबा 1.03 हे. मद ना.का., सर्वे न. 481 रकबा 1.25 हे. मद ना.का. सर्वे न. 482 रकबा 0.29 मद ना.का. सर्वे न. 483 रकबा 1.82 मद ना.का. बने होना पाये गये। पुराने सर्वे न. 80 से वर्तमान सर्वे न. 437 रकबा 1.48 हे. मद रास्ता सर्वे न. 462 रकबा 0.90 हे. मद ना.का. सर्वे न. 474 रकबा 0.25 मद ना.का. एवं सर्वे न. 475 रकबा 0.81 मद रास्ता बने होना पाये गये। इस प्रकार रेलवे विभाग के संदर्भित पत्रानुसार जिन सर्वे न. पर वर्तमान में वन विभाग द्वारा आपत्ति ली जा रही है। उक्त समस्त सर्वे न. मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग की शासकिय भूमि होकर दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बरो पर कही भी पुराने रिकार्ड एवं वर्तमान रिकार्ड में किसी भी प्रकार के जंगल/वन भूमि होने का उल्लेख नहीं होना पाया गया है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि राजस्व विभाग की होकर दर्ज होना पाई गई है।

3. वन विभाग – उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में आज दिनांक 20/01/2023 को राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

- No. 1460-819-X-6x- In exercise of the powers conferred by section 20 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927) the Government of Madhya Pradesh is pleased, with reference to Madhya Bharat government notification no. 6037/XF/592/55, dated the 19 th may 1956 to declare the land shown below in Jobat tehsil of jhabua district, to be reserved forest with effect from the 1st June of 1961.

Dekakund –	survey no.	Area
	41	17.26
	42	134.84
	80	76.52
	81	38.80
	Total	267.42

Note- उक्त ग्राम डेकाकुण्ड के उक्त सर्वे न. का डाटा मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अलीराजपुर वन मण्डल की कार्य आयोजना वर्ष 2018-19 से 2027-28 पुस्तक क्रमांक – 3 परिशिष्ट आलेख भाग – 1 व 2 के पृष्ठ क्रमांक 109 पर उल्लेखित डाटा से लिया गया है। उक्त डाटा में रकबे की युनिट बिघा में दर्ज है। किन्तु वन विभाग के ब्लॉक मैप में रकबे की युनिट एकड में दर्ज है।


- तात्कालिन डिवीजन धार अंतर्गत ब्लॉक जमेरी रेन्ज-जोबट, स्केल – 4"=1 माईल रकबा सेटिल 4801.72 एकड के अंतर्गत ब्लॉक मैप में खसरा क्र. 34,35,37,40,42, 41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। जो कि वन क्षेत्र में आता है।






- रेलवे द्वारा अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य की गई भूमि वन मण्डल अलीराजपुर अंतर्गत कक्ष इतिहास में कक्ष क्र. 29 अंतर्गत नक्शे में वन क्षेत्र डेकाकुण्ड के अंतर्गत आती है।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेजों एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर छोटाउदयपुर से धार रेलवे लाईन निर्माण हेतु 6.654 हेक्टर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु बीट बलेडी के कक्ष क्रमांक 29 में मोके पर कुल लम्बाई में से 695 मीटर पर रेलवे विभाग द्वारा कार्य पहले ही किया जा चुका है। तथा 380 मीटर पर कार्य करना शेष है।


निष्कर्ष :- उक्तानुसार राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया कि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण के समय दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे के आधार पर उक्त भूमि शासकिय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 तथा निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर निर्माण कार्य किया है। राजस्व विभाग के नक्शा एवं खसरा रिकार्ड अनुसार वन विभाग की भूमि जोबट-बोरी मार्ग के पूर्व में स्थित होना पाई गई है। जोबट-बोरी मार्ग के पश्चिम में स्थित समस्त भूमेया राजस्व विभाग की होना वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्शित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सर्वे न. का मिलान मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग से किया गया है। किन्तु वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड अनुसार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत ब्लॉक मेप में खसरा क्र. 34,35,37,40,42,41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। उक्त समस्त सर्वे नम्बर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार राजस्व विभाग के पुराने नम्बर है। उक्त खसरा क्रमांक को 01 जून 1961 में नोटिफिकेशन के माध्यम से वन विभाग को हस्तान्तरित किये गये थे। किन्तु नवीन बंदोबस्त वर्ष 1991-92 में उक्त वन विभाग को नोटिफाई किये गये उक्त सर्वे न. का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होना पाया गया जो कि वर्तमान वर्ष तक यथावत है। वन विभाग के ब्लॉक नक्शे अनुसार वन विभाग की सीमा ग्राम डेकाकुण्ड के पश्चिम में स्थित डोही नदी तक होना दर्शित है। वर्तमान में वन विभाग की सीमा एवं राजस्व विभाग की सीमा का मिलान नहीं हो पा रहा है।

अतः आज दिनोंक को किये गये संयुक्त निरीक्षण में सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण आगामी जाँच की आवश्यकता है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जोबट, जिला - अलीराजपुर


तहसीलदार
तहसील जोबट


वनपरिषदाधिकारी
जोबट


कार्यपालन यंत्री
पश्चिम रेलवे

कलेक्टर न्यायालय का प्र.क्र. 0018/अ-82/2016-17
अ.वि.अ.(रा.)एवं भू-अर्जन अधि. का न्या.प्र.क्र. 0014/अ-82/2016-17

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन अवार्ड प्रस्ताव
ग्राम देकाकुण्ड

तहसील- जोबट जिला- अलीराजपुर (म.प्र.)

अर्जनीय रकबा 9.792 हेक्टेयर

कलेक्टर अलीराजपुर
एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
जोबट जिला अलीराजपुर (म.प्र.)**

कलेक्टर न्यायालय का प्र.क्र. 0018/अ-82/2016-17
अ.वि.अ.(रा.)एवं भू-अर्जन अधि. का न्या.प्र.क्र. 0014/अ-82/2016-17

डिप्टी चीफ इंज्ज नियर,
(निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा
वेरुद्ध

भुवानसिंह पिता रामसिंह जाति भील एवं अन्य
निवासीगण बेटवासा तह. जोबट जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

// प्रस्तावित अवार्ड //
(दिनांक 25/01/2018)

डिप्टी चीफ इंज्जिनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा ने उनके पत्र क्रमांक/
brc/w/335/33 दिनांक 13.01.2017 द्वारा छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन में आने वाले ग्राम
देकाकुण्ड पाव्वागे हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि रकबा 9.792
हेक्टर के 3 निर्धार्य भू-अर्जन का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें अनिवार्य अर्जन का सार्वजनिक
प्रयोजन ग्राम देकाकुण्ड छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन के कार्य से प्रभावित होना बताया गया है।
प्रस्ताव अनुसार सीमांकन उपरांत निम्न अनुसूची में वर्णित निजी कृषि भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

--:अनुसूची:--

ग्राम	:	देकाकुण्ड
प.ह.नं.	:	49
तहसील	:	जोबट
जिला	:	अलीराजपुर (म.प्र.)

क्र.	पटवारी हल्का नं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि की स्थिति		अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	49	जोबट	देकाकुण्ड	487/2	0.000	0.409	0.409
2				480	0.483	0.000	0.483
3				481	0.000	0.813	0.813
4				439	0.000	0.134	0.134
5				60	0.000	1.138	1.138
6				62	0.000	0.377	0.377
7				72/2	0.000	0.026	0.026
8				72/1	0.000	0.305	0.305
9				77	0.000	0.003	0.003
10				76	0.000	0.298	0.298
11				74	0.000	0.047	0.047
12				75	0.000	0.388	0.388
13				82/1	0.130	0.000	0.130
14				82/2	0.000	0.030	0.030
15				83	0.000	0.210	0.210
16				176	0.000	0.017	0.017
17				175	0.000	0.136	0.136
18				174	0.039	0.000	0.039
19				171	0.122	0.000	0.122
20				170	0.010	0.000	0.010
21				166	0.384	0.000	0.384
22				110	0.000	0.414	0.414

23			111	0.000	0.198	0.198
24			165	0.166	0.000	0.166
25			164	0.405	0.000	0.405
26			163	0.252	0.000	0.252
27			162	0.510	0.000	0.510
28			161	0.126	0.000	0.126
29			160	0.093	0.000	0.093
30			158	0.269	0.000	0.269
31			157	0.267	0.000	0.267
32			156	0.776	0.000	0.776
33			487/मिन/3	0.000	0.305	0.305
34			483/1	0.000	0.470	0.470
35			490	0.000	0.042	0.042
योग:-				4.032	5.760	9.792

प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न अर्जनीय भूमि के वर्ष 2016-17 की खसरा व वर्ष 2016-17 की बी -1 की नकलें मय नक्शा व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ पेश की है। प्रस्तुतकर्ता डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, मताप नगर बडौदा द्वारा अर्जनीय भूमि का सीमांकन कराया जाकर सीमांकित नकाव अन्य दस्तावेज भी प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत किये हैं तथा प्रस्ताव में उनके द्वारा अनुमानित अग्रिम मुआवजा राशि भी उपलब्ध करायी गयी है।

1. प्रकरण में कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन, 2013) की धारा 11 की अधिसूचना क्रमांक 468/भू-अर्जन/रीडर-1/2017 अलीराजपुर, दिनांक 16.03.2017 को जारी की गई जिसका प्रकाशन म.प्र.राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 07 अप्रैल 2017 को पृष्ठ क्रमांक 1574-1577 पर, तथा स्थानीय समाचार पत्र, अधिसूचना का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार, जौबट के सूचना पटल पर तथा ग्राम देवगकुण्ड की चौपाल पर चस्पा किया गया।
2. प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत नियत समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्रकरण में कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उदघोषणा क्रमांक/1860/भू-अर्जन/2017 अलीराजपुर, दिनांक 05.08.2017 से जारी की गयी जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र के भाग 1 में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ क्रमांक 5287 पर एवं समाचार पत्र

- तथा उद्घोषणा का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार जोबट, ग्राम देकाकुण्ड की चौपाल पर चस्पा कराया गया है।
3. प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 कार्यवाही पूर्णता के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के तहत अग्रिम कार्यवाही की गई।
 4. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत अर्जित कृषि भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग की टीम द्वारा पहले कर लिया गया है, जिसका सीमांकित नक्शा व भू-अर्जन प्रपत्र 10,11 अनुसार समस्त अर्जनीय भूमि का भूमि मूल्यांकन पत्रक 13 तहसीलदार जोबट से प्राप्त हुआ है।
 5. डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बड़ौदा के पत्र क्रमांक BRC/W/335/83/दिनांक 13.01.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन कार्य के लिये भू-अर्जन के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अतः भू-अर्जन के संबंध में तीन वर्ष बिक्री छोट का औसत तथा धारा 11 के प्रकाशन के समय की कलेक्टर गाईड लाईन दोनों में से जो भी अधिक है। तदनुसार भूमि के मूल्य निर्धारण की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार की गई है। प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के वित्तीय वर्ष 2016-17 की कलेक्टर गाईड लाईन तथा ग्राम बेटवासा की बिक्री की गाईड लाईन की औसत दर अनुसार किया गया है। ग्राम देकाकुण्ड में विगत तीन वर्षों में कोई खरीदी बिक्री नहीं होने से छोट बिक्री की रिपोर्ट अप्राप्त। उप-पंजीयक जोबट जिला अलीराजपुर से विगत तीन वर्षों की छोट-बिक्री प्राप्त की गई। जो प्रकरण में संलग्न है। कलेक्टर गाईड-लाईन का धारा 11 के समय वित्तीय वर्ष 2016-17 का निम्नानुसार है।

* कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार औसत

क्र.	वर्ष	प्रति हेक्टेयर	
		सिंचित	असिंचित
1	2015-16	2,86,000	1,43,000
2	2016-17	2,86,000	1,43,000
3	2017-18	3,00,000	1,50,000
	योग	8,72,000	4,36,000
	औसत दर	2,90,667	1,45,333

तहसीलदार तहसील जोबट से प्रभावित ग्राम की अर्जनीय भूमि का मूल्यांकन पत्रक 13 मय प्रतिबन्धन के प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रैल, 2017 से 30.11.2017 में भूमि का मूल्यांकन की गणना के लिए कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार विगत तीन वर्षों का बजार मूल्य कुल रुपये 872000/-सिंचित एवं रुपये 436000/- असिंचित का होना पाया गया। इस आधार पर सिंचित भूमि का औसत मूल्य दर प्रति हेक्टेयर रुपये, 290667/- निर्धारित होता है। असिंचित भूमि के औसत मूल्य दर का रुपये 145333/-प्रति हेक्टेयर मूल्य से निर्धारण की कार्यवाही की गई। इस प्रकार डिप्टी चीफ इन्जीनियर, (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बड़ौदा के उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में उक्त प्रदाय की जाने वाली दर के आधार पर भूमि का मूल्य गणना पत्रक 13 के अनुसार भूमि के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई है।

भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही:-


- सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जोबट के पत्र क्रमांक/852/स.य./लो.स्वा.या.ख./27 जोबट, दिनांक 07.11.2017 को कुआँ एवं पाईप लाईन का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- सहायक संचालक उद्यान जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/उद्यान/तक./मुल्यांकन/2017-18/2583 अलीराजपुर दिनांक 08.11.2017 को फलदार वृक्षों का मूल्यांकन प्राप्त हुआ।
- वन मण्डलाधिकारी, आलीराजपुर वनमण्डल अलीराजपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/1499 अलीराजपुर, दिनांक 22.11.2017 को वृक्षों की लकड़ी का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/3809/तक/2017-18 अलीराजपुर, दिनांक 20.11.2017 को सड़कों का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- प्रकरण में धारा 21 की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 21 की सार्वजनिक सूचना सुनवाई हेतु समय दिया गया। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त सर्वे नम्बर अर्जनीय भूमि का रकबा, उसकी स्थिति तथा उसमें प्रभावित परिसम्पत्तियों की जानकारी प्रदाय की गई, उक्त सुनवाई में से कोई भी कृषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में धारा 21 की सुनवाई समय कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होने से मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई। उपरोक्त भूमियों का अर्जन, भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अधीन किया गया है।

इस प्रकार अर्जित की जा रही भूमि का मूल्यांकन तहसीलदार, तहसील जोबट द्वारा किया गया है। प्राप्त मूल्यांकन अनुसार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि मुआवजा रुपये 19,76,832/- (रुपये उन्नीस लाख छियोत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) व भारत का राजपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2017 अनुसार कुल मुआवजा राशि का 2 गुणांक अनुसार रुपये 39,53,664/- (रुपये उनचालीस लाख तिरपन हजार छः सौ चोसठ मात्र) एवं 30(3) के तहत 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 283 दिवस का भूमि का अतिरिक्त ब्याज रु.1,83,927/- (रु. एक लाख तिरासी हजार नौ सौ सत्ताईस मात्र) इस प्रकार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि का मुआवजा राशि कुल रुपये 41,37,591/- (रु. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नेवे मात्र) हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 13 में दर्शाया गया है। (संलग्न प्रारूप-13)

अर्जित की जाने वाली भूमि खसरा क्रमांक में स्थित वृक्ष प्रभावित होते हैं। जिसका मूल्यांकन वन मण्डलाधिकारी जिला अलीराजपुर एवं सहायक संचालक उद्यान द्वारा रुपये 58,390/- (रु. अठावन्न हजार तीन सौ नब्बे मात्र) आँका गया है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 17 (क) में दर्शाया गया है। इस प्रकार भूमि एवं वृक्ष/मकान/कुएँ का कुल मुआवजा राशि, 5,33,665/- (रु. पाँच लाख तेतीस हजार छः सौ पैंसठ मात्र) है। जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 22 में दर्शाया गया है। (संलग्न प्रारूप 22) मुआवजा राशि का भुगतान प्रारूप 22 में निर्धारित की गई है वही भुगतान की जावेगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम देकाकुण्ड तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की कुल निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 35 कुल रकबा 9.792 हेक्टर का कुल अवार्ड 41,37,591/- (रु. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नेवे मात्र) का अवार्ड पारित किया जाता है।


भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जोबट जिला अलीराजपुर

अवार्ड का संक्षेप

1. ग्राम का नाम	: देकाकुण्ड
पटवारी हल्का नं.	: 49
तहसील का नाम	: जोबट
जिला	: अलीराजपुर (म.प्र.)
संपादित भूमि रकबा सिंचित	: 4.032 हेक्टर
संपादित भूमि रकबा असिंचित	: 5.760 हेक्टर

योग:- 9.792 हेक्टर

2. फार्म 13 के अनुसार	1976832 /-
फार्म 13 के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राशि)	1976832 /-
12 प्रतिशत वार्षिक व्याज राशि 276 दिन	183927 /-


योग:- 4137591/-

3. अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य-

वृक्षों का मूल्य	:	58390 /-
लकड़ी/फलदार वृक्षों का मूल्य	:	
फार्म-17 क के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राशि)	:	
सहित राशि	:	58390 /-

परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 116780/-


अतः अर्जन की जाने वाली भूमि का प्रस्तावित अवार्ड राशि रुपये अवार्ड का अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।


भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जोबट जिला अलीराजपुर

प्रमाण-पत्र


मैंने (छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन) योजनान्तर्गत शीर्ष के कार्य हेतु ग्राम देकाकुण्ड की अर्जित की जाने वाली भूमि के मेरे द्वारा पूरे प्रकरण का अवलोकन किया। गणना, नियम व निर्देशों के अन्तर्गत पाई गई है तथा शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रकरण में गणनाएँ की गई है, तथा परिगणित करने पर सही पाई गई है।

अतः ग्राम देकाकुण्ड का अवार्ड राशि रुपये 42,54,371/- (रु. बयालीस लाख, चौवन हज़ार तीन सौ इकत्तर मात्र) का उल्लेख करते हुए अवार्ड प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंसा करता हूँ।


(साकेत मालवीय) भाप्रसे
भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
जोबट जिला अलीराजपुर

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट जिला अलीराजपुर द्वारा किये गये परीक्षण एवं की गई गणना तथा अनुशांसा के आधार पर ग्राम देकाकुण्ड के शीर्ष कार्य (छोटा उदयपुर-धार रेल लाईन) से प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड पटवारी हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि एकबा 9.792 हेक्टेयर हेतु अवार्ड राशि रूपये 42,54,371 /- (रु. बयालीस लाख, चौबन्न हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) का अनुमोदन किया जाता है।

जोबट दिनांक 30/01/2018


कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Annexure-A-III

रेलवे लाइन अवार्ड (छोटाउदयपुर-धार) के अन्तर्गत
ग्राम देकाकुण्ड तहसील जॉबट (न.प्र.) की अर्जित की जाने वाली भूमि, मकान, दुआँ, दुआँ, पाईप लाईन आदि सम्पत्ति का मुआवजा पत्रक जिला अतीरापुर (मध्यप्रदेश)

सं. क्र.	कृषक का नाम	खरारा कमांक	भूमि की स्थिति		भूमि का बाजार मूल्य		भूमि का बाजार मूल्य	परिसमत्ती					कुल मुआवजा राशि	सोलेशियम फण्ड	नू-अर्जन अभिनियम 2013 की धारा 30-3 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर दिनांक 07.04 2017 से 15.01.2018 तक कुल 283 दिवस का अतिरिक्त मुआवजा	शुद्ध देय राशि
			सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित		मकान	कुआ	वृक्ष	पाईप लाइन					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	सुन्दरसिंह मुकानसिंह पिता मल्लु मेवली देवा शातु जाति मील पता सा.देह भूमि स्वामी	487/2	0.000	0.409	0	58487	58487	0	0	0	0	58487	58487	5442	122416	
2	मुकानसिंह पिता रामसिंह जाति मील पता सा.देह भूमि स्वामी	480	0.483	0.000	138138	0	138138	0	0	9250	0	147388	147388	12853	307629	
3	मुकानसिंह राम रामसिंह पिता दुदरसिंह व मेवली देवा दुदरसिंह जाति मील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	481	0.000	0.813	0	116759	116759	0	0	0	0	116759	116759	10817	243335	
4	मान पिता धुमजी जाति मल्लु पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	439	0.000	0.134	0	19162	19162	0	0	5400	0	24562	24562	1783	50907	
5	रघुजी देवा शातु जाति मील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60	0.000	1.138	0	162734	162734	0	0	13500	0	176234	176234	15141	367609	
6	दुदरसिंह पिता धुमजी जाति मील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62	0.000	0.377	0	53911	53911	0	0	0	0	53911	53911	5016	112838	
7	भाया पिता मान, केलाय, धमेन्द्र पिता मान जाति मील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	72/2	0.000	0.026	0	3718	3718	0	0	0	0	3718	3718	346	7782	
8	साथरी शंकराई अनवाई धनवाई पिता इन्दरसिंह जाति मील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	72/1	0.000	0.305	0	43615	43615	0	0	0	0	43615	43615	4058	91288	
9	सकरु वरसिंह पिता हिंदु जाति मील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	77	0.000	0.003	0	429	429	0	0	0	0	429	429	40	898	

10	उमर पिता सुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76	0.000	0.298	0	42514	42514	0	0	0	250	0	42854	42854	3965	89693
11	नजरु पि. देवसिंग जाति भील पता सा. देह भूमि स्वामी	74	0.000	0.047	0	6721	6721	0	0	0	0	0	6721	6721	625	14067
12	पुरुसिंह पिता भीलू केस सजनी सुमेरसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्दरसिंह वग्या बेवा भीलू बालू मानू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता मूय व मूय बेवा हिरजी रणसिंह पिता इड्ड असा लुसी भुरली मोटली समोना पिता केसरसिंह व सहदा बेवा केसरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.000	0.388	0	55484	55484	0	0	0	0	0	55484	55484	5162	116130
13	कल्याणसिंह पिता मदन व राजेन्द्रसिंग पिता कल्यासिंग जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82/1	0.130	0.000	37180	0	37180	0	0	0	0	0	37180	37180	3459	77819
14	इलेन्द्र महेंद्र पिता शंकर जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	82/2	0.000	0.030	0	4290	4290	0	0	0	0	0	4290	4290	399	8979
15	पुरुसिंह पिता भीलू केस सजनी सुमेरसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्दरसिंह वग्या बेवा भीलू बालू मानू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता मूय व मूय बेवा हिरजी रणसिंह पिता इड्ड असा लुसी भुरली मोटली समोना पिता केसरसिंह व सहदा बेवा केसरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83	0.000	0.210	0	30030	30030	0	0	0	0	0	30030	30030	2794	62854
16	पुरुसिंह पिता भीलू केस सजनी सुमेरसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्दरसिंह वग्या बेवा भीलू बालू मानू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता मूय व मूय बेवा हिरजी रणसिंह पिता इड्ड असा लुसी भुरली मोटली समोना पिता केसरसिंह व सहदा बेवा केसरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.000	0.017	0	2431	2431	0	0	0	8100	0	10531	10531	448	84400

17	गुरसिंह पिता भीलू केस सवनी सुमरसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्द्रसिंह वमा बेवा भीलू बालू मातू पिता शिजीसायसिगा ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता मूरा व मूरा बेवा हिरली रणसिंह पिता हड्ड अत्ता लुसी मूरली मोटली समाना पिता केसरसिंह व सहदा बेवा केसरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूनि स्वामी	175	0.000	0.136	0	19448	0	19448	0	0	0	0	0	0	19448	19448	1809	40705
18	गुरसिंह पिता भीलू केस सवनी सुमरसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्द्रसिंह वमा बेवा भीलू बालू मातू पिता शिजीसायसिगा ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता मूरा व मूरा बेवा हिरली रणसिंह पिता हड्ड अत्ता लुसी मूरली मोटली समाना पिता केसरसिंह व सहदा बेवा केसरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूनि स्वामी	174	0.039	0.000	11154	0	11154	0	11154	0	0	4000	0	0	15154	15154	1038	31346
19	रायसिंह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठरहो भूनि स्वामी	171	0.122	0.000	34892	0	34892	0	34892	0	0	0	0	0	34892	34892	3246	73030
20	रायसिंह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठरहो भूनि स्वामी	170	0.010	0.000	2860	0	2860	0	2860	0	0	0	0	0	2860	2860	266	5986
21	रायसिंह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठरहो भूनि स्वामी	166	0.384	0.000	109824	0	109824	0	109824	0	0	0	0	0	109824	109824	10218	229866
22	कमरु पिता वेत्ता जाति भील पता नि ग्राम भूनि स्वामी	110	0.000	0.414	0	59202	59202	59202	59202	0	0	0	0	0	59202	59202	5508	123912
23	कमरु पिता वेत्ता जाति भील पता नि ग्राम भूनि स्वामी	111	0.000	0.198	0	28314	28314	28314	28314	0	0	0	0	0	28314	28314	2634	59262
24	रायसिंह पिता हमीर जाति भील पता निवासी ग्राम भूनि स्वामी	165	0.166	0.000	47476	0	47476	0	47476	0	0	0	0	0	47476	47476	4417	99369
25	नामका पिता जंगलिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूनि स्वामी	164	0.405	0.000	115830	0	115830	0	115830	0	0	5000	0	0	120830	120830	10777	252437
26	रायसिंह पिता हमीर जाति भील पता निवासी ग्राम भूनि स्वामी	163	0.252	0.000	72072	0	72072	0	72072	0	0	0	0	0	72072	72072	6706	150850

27	विमलसिंह पिता वेता जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	162	0.510	0.009	145860	0	145860	0	0	0	0	0	145860	145860	13571	305291
28	नानका पिता जमसिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	161	0.126	0.000	36036	0	36036	0	0	0	0	0	36036	36036	3353	75425
29	विमलसिंह पिता वेता जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	160	0.093	0.000	26598	0	26598	0	0	0	0	0	26598	26598	2475	55671
30	धुपली पिता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	158	0.269	0.000	76934	0	76934	0	0	0	0	0	76934	76934	7158	161026
31	सेलका एति रामसिंह जाति भील भूमि स्वामी	157	0.267	0.000	76362	0	76362	0	0	400	0	0	76762	76762	7105	160629
32	जालु पिता रामराज जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	156	0.776	0.000	221936	0	221936	0	0	10800	0	0	232736	232736	20649	486121
33	लीमसिंह सोहवत सुरमा क्ता रमिला सन्ता पिता सुरली व भीमली वेदा सुरली जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	487/मिन-3	0.000	0.305	0	43615	43615	0	0	0	0	0	43615	43615	4058	91288
34	केसरसिंह सुगरसिंह समरिया व बनी वेदा समरिया कनिया पिता केसरसिंह जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	483/1	0.000	0.470	0	67210	67210	0	0	1690	0	0	68900	68900	6253	144053
35	वेता झलु राजेन्द्रसिंह पिता सिलवसिंहराय वेदा विजयसिंह जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	490	0.000	0.042	0	6006	6006	0	0	0	0	0	6006	6006	559	12571
	योग :-		4.032	5.760	1153152	823680	1976832	0	0	58390	0	0	2035222	2035222	183927	4254371

Signature
 10/05/2024
 10/05/2024

फॉर्म-13 क


अवार्ड उपरान्त रेलवे लाईन (मोटादेपुर-धार) के अन्तर्गत
ग्राम देवाकुण्ड तहसील जोबट (नएप्रो) का मुआवजा पत्रक

क्र०	भूमि स्वामी का नाम मय पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा		अजित की जाने वाली भूमि का मुआवजा		मुआवजा रुपये	मू-अवर्गन अधिनियम 2013 की धारा 30-1 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर दिनांक 07.04.2017 से 15.01.2018 तक कुल 283 दिवस का अतिरिक्त मुआवजा	मू-अवर्गन अधिनियम 2013 की धारा 30-1 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर दिनांक 07.04.2017 से 15.01.2018 तक कुल 283 दिवस का अतिरिक्त मुआवजा	योग कुल मुआवजा रुपये
			सिंचित	असिंचित	सामान्य 286000 प्रति हेक्टर	आसीधत हेक्टर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गुन्दरसिंह मुकानसिंह पिता शालु मेथली बेवा शालु जाति भील पता सादेह भूमि स्वामी	487/2	0.000	0.409	0	58487	58487	58487	5442	122416
2	मुकानसिंह पिता रामसिंह जाति भील पता सादेह भूमि स्वामी	480	0.483	0.000	138138	0	138138	138138	12853	289129
3	मुकानसिंह योग मंवरिया पिता दुर्गसिंह व मेथली बेवा दुर्गसिंह जाति भीलपता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	481	0.000	0.513	0	116259	116259	116259	10817	243335
4	मान पिता धुमजी जाति सर्विल पता निग्राम भूमि स्वामी	439	0.000	0.134	0	19162	19162	19162	1783	40107
5	शबली बेवा थारू जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	60	0.000	1.138	0	162734	162734	162734	15141	340609
6	चन्दरसिंह पिता धुमजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62	0.000	0.377	0	53911	53911	53911	5016	112838
7	भाया पिता मान, केलारा धर्मेन्द्र पिता मान जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	72/2	0.000	0.026	0	3718	3718	3718	346	7782
8	सायरी शंकरबाई अनबाई धनबाई पिता इन्दरसिंह जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	72/1	0.000	0.305	0	43615	43615	43615	4058	91288
9	सकरु जयसिंह पिता हेरु जाति भील पता निग्राम भूमि स्वामी	77	0.000	0.003	0	429	429	429	40	898

10	समर पिता खुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76	0.000	0.298	0	42614	42614	42614	42614	3965	89193
11	गजर पि.वेनसिंग जाति भील पता सादेह भूमि स्वामी	74	0.000	0.047	0	6721	6721	6721	6721	625	14067
12	भुमसिंह पिता भील कंस सजनी सुमरसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्द्रसिंह चप्पा बेवा भीलू बालू मातु पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता भूरा व भूरा बेवा हिरजी रणसिंह पिता खुडु अस्मा लुसी मुरली मोटली समोन पिता केशरसिंह व सहदा बेवा केशरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.000	0.388	0	55484	55484	55484	55484	5162	116130
13	करणसिंह पिता पदन व राजेन्द्रसिंग पिता करणसिंग जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82/1	0.130	0.000	37180	0	37180	37180	37180	3459	77819
14	शेलेन्द्र महेन्द्र पिता शंकर जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	82/2	0.000	0.030	0	4290	4290	4290	4290	399	8979
15	भुमसिंह पिता भील कंस सजनी सुमरसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा केन्द्रसिंह चप्पा बेवा भीलू बालू मातु पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता भूरा व भूरा बेवा हिरजी रणसिंह पिता खुडु अस्मा लुसी मुरली मोटली समोन पिता केशरसिंह व सहदा बेवा केशरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83	0.000	0.210	0	30030	30030	30030	30030	2794	62854

16	<p>मुसिह पिता भीलू करम सजनी सुनेरसिह सदन पिता कन्दरसिह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा कन्दरसिह चम्पा बेवा भीलू बाबू मातू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता भूरा व भूरा बेवा हिरजी रणसिह पिता इडु अस्मा लुसी भूली मोटली समोना पिता केशरसिह व सहदा बेवा केशरसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी</p>	176	0.000	0.017	0	2431	2431	2431	226	5088
17	<p>मुसिह पिता भीलू करम सजनी सुनेरसिह सदन पिता कन्दरसिह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा कन्दरसिह चम्पा बेवा भीलू बाबू मातू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता भूरा व भूरा बेवा हिरजी रणसिह पिता इडु अस्मा लुसी भूली मोटली समोना पिता केशरसिह व सहदा बेवा केशरसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी</p>	175	0.000	0.136	0	19448	19448	19448	1809	40705
18	<p>मुसिह पिता भीलू करम सजनी सुनेरसिह सदन पिता कन्दरसिह ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता शायरी व शायरी बेवा कन्दरसिह चम्पा बेवा भीलू बाबू मातू पिता हिरजीसायसिया ना 0 बा 0 स 0 प्र 0 माता भूरा व भूरा बेवा हिरजी रणसिह पिता इडु अस्मा लुसी भूली मोटली समोना पिता केशरसिह व सहदा बेवा केशरसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी</p>	174	0.039	0.000	11154	0	11154	11154	1038	23346
19	<p>राजसिह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठदेहो भूमि स्वामी</p>	171	0.122	0.000	34892	0	34892	34892	3246	73030
20	<p>राजसिह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठदेहो भूमि स्वामी</p>	170	0.010	0.000	2860	0	2860	2860	266	5986
21	<p>राजसिह पिता हमीद व नुरा बेवा हमीद जाति भील पता साठदेहो भूमि स्वामी</p>	166	0.384	0.000	109824	0	109824	109824	10218	229866

22	कमरु पिता वेस्ता जाति नील पता निग्राम भूमि स्वामी	110	0.090	0.414	0	59202	59202	59202	5508	123912
23	कमरु पिता वेस्ता जाति नील पता निग्राम भूमि स्वामी	111	0.000	0.198	0	28314	28314	28314	2634	39262
24	रायसिंह पिता हमीर जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	165	0.166	0.000	47476	0	47476	47476	4417	99369
25	नानका पिता जंगलिया जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164	0.405	0.000	115830	0	115830	115830	10777	242437
26	रायसिंह पिता हमीर जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	163	0.252	0.000	72072	0	72072	72072	6706	150850
27	विस्मसिंह पिता वेस्ता जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	162	0.510	0.000	145860	0	145860	145860	13571	305291
28	नानका पिता जंगलिया जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	161	0.126	0.000	36036	0	36036	36036	3353	75425
29	विस्मसिंह पिता वेस्ता जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	160	0.093	0.000	26598	0	26598	26598	2475	55671
30	धुमजी पिता अमरसिंह जाति नील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	158	0.269	0.000	76934	0	76934	76934	7158	161026
31	सेलका पति रामसिंह जाति नील भूमि स्वामी	157	0.267	0.000	76362	0	76362	76362	7105	159829
32	रातु पिता यमरा जाति नील पता निग्राम भूमि स्वामी	156	0.776	0.000	221936	0	221936	221936	20649	464521
33	लीमसिंह सोहबत सुरा कमा रमिला सत्ता पिता सुरजी व नीमली बेवा सुपजी जाति नील पता निग्राम भूमि स्वामी	487/मिन-3	0.000	0.305	0	43615	43615	43615	4058	91288
34	केसरसिंह दुंगरसिंह समरिया व बनी बेवा समरिया जंगल पिता जंगलिया जाति नील पता निग्राम भूमि स्वामी	483/1	0.000	0.470	0	67210	67210	67210	6253	140672
35	वेस्ता, प्रीतू राजनसिंह पिता विजयसिंह बेवा विजयसिंह जाति नील पता निग्राम साहलेडि भूमि स्वामी	490	0.000	0.042	0	6006	6006	6006	559	12571
योग :-			4.032	5.760	1153152	823680	1976832	1976832	183927	4137591



 ज.प्र.स. अधिकारी
 ज.प्र.स. कार्यालय

फार्म-17 क

अवाई संक्षेपी रेलवे लाईन (ग्रेट इस्टर्न रेलवे-धार) के अन्तर्गत स्थलों की जानकारी
ग्राम डेकानुड तहसील जोबट (MOPD) का मुख्यालय पत्रक

क्र०	नूनि स्थानी का नाम यह पिता का नाम	खसरा क्रमांक	वृक्ष पर भूमि स्थानी के अतिरिक्त अन्य व्यापार का कच्चा स्वामित्व हो तो उसका नाम	वृक्ष का नाम	फसलदार क्षेत्र की विषय में उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित मुख्यालय	वन विभाग द्वारा निर्धारित लकड़ी का मुख्यालय	योग 6+7	सू. जलन अभियान 2013 की धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण राशि	योग	
				4	5	6	7	8	9	10
1		3			महुआ-3	0	8100	8100		16200
1	मुनसिंह पिता रामसिंह जाति भील पता सादर भूमि स्थानी	480	मुनसिंह पिता रामसिंह जाति भील पता सादर भूमि स्थानी	रिन्ना-1	0	150	150	150		300
1	मुनसिंह पिता रामसिंह जाति भील पता सादर भूमि स्थानी			सागुन-1	0	1000	1000	1000		2000
2	मान पिता पुष्पजी जाति मईल पता निग्राम भूमि स्थानी	439	मान पिता पुष्पजी जाति मईल पता निग्राम भूमि स्थानी	महुआ-2	0	5400	5400	5400		10800
2	मान पिता पुष्पजी जाति भील पता निग्राम भूमि स्थानी	60	रायली बेगा थारु जाति भील पता निग्राम भूमि स्थानी	महुआ-5	0	13500	13500	13500		27000
3	रायली बेगा थारु जाति भील पता निग्राम भूमि स्थानी		वकर पिता कुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी	लेमीर-1	0	250	250	250		500
4	वकर पिता कुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्थानी	76								
5	मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी	174	मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी मुनसिंह पिता भील केस सजनी सुरेसिंह सदन पिता केन्दरसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी बेगा केन्दरसिंह पता सादर भूमि स्थानी	आम-1	3600	400	4000	4000		8000

6	मुद्रसिंह पिता भीलू केम सक्ती सुमसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी देवा केन्द्रसिंह वपा देवा भीलू मलू पिता डिपोजीमसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता मूल व मूल देवा हिली र्गसिंह पिता डूड जन्मा लुली मूली मोटली सपेना पिता केन्द्रसिंह व सहदा देवा केन्द्रसिंह व भीलू देवा केन्द्रसिंह जाति भीलू पता निवासी ग्राम भूमे स्वामी	176	मुद्रसिंह पिता भीलू केम सक्ती सुमसिंह सदन पिता केन्द्रसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता शायरी व शायरी देवा केन्द्रसिंह वपा देवा भीलू मलू पिता डिपोजीमसिंह ना 0 बा 0 स 0 प 0 माता मूल व मूल देवा हिली र्गसिंह पिता डूड जन्मा लुली मूली मोटली सपेना पिता केन्द्रसिंह व सहदा देवा केन्द्रसिंह जाति भीलू पता निवासी ग्राम भूमे स्वामी	महुआ-3	0	8100	8100	8100	16200
7	सलु पिता ममरा जाति भीलू पता निग्राम भूमे स्वामी	156	सलु पिता ममरा जाति भीलू पता निग्राम भूमे स्वामी	महुआ-4	0	10800	10800	10800	21600
8	सेलका पति र्गसिंह जाति भीलू भूमे स्वामी	157	सेलका पति र्गसिंह जाति भीलू भूमे स्वामी	वला-3 ओहला-1	0	250	250	250	500
9	मानका पिता जंगलिया जाति भीलू पता निवासी ग्राम भूमे स्वामी	164	मानका पिता जंगलिया जाति भीलू पता निवासी ग्राम भूमे स्वामी	आम-1	3600	1400	5000	5000	10000
10	केन्द्रसिंह डुपसिंह सपरिया व बनी देवा सपरिया पिता केन्द्रसिंह जाति भीलू पता निग्राम भूमे स्वामी	483/1	केन्द्रसिंह डुपसिंह सपरिया व बनी देवा सपरिया कनिया पिता केन्द्रसिंह जाति भीलू पता निग्राम भूमे स्वामी	महुआ-1 बडू-1 गुतर-1	0	1400	1400	250	2800
	योग :-				7200	51190	58390	58390	116780


 श्री राजेश सहितानी
 पंचायत समिति कार्यालय
 कोहड जिला-राजस्थान

Annexure-A-IV

[illegible]

2

1879-80

1879-80		1878-79		1877-78		1876-77		1875-76		1874-75		1873-74		1872-73		1871-72		1870-71		1869-70		1868-69		1867-68		1866-67		1865-66		1864-65		1863-64		1862-63		1861-62		1860-61		1859-60		1858-59		1857-58		1856-57		1855-56		1854-55		1853-54		1852-53		1851-52		1850-51		1849-50		1848-49		1847-48		1846-47		1845-46		1844-45		1843-44		1842-43		1841-42		1840-41		1839-40		1838-39		1837-38		1836-37		1835-36		1834-35		1833-34		1832-33		1831-32		1830-31		1829-30		1828-29		1827-28		1826-27		1825-26		1824-25		1823-24		1822-23		1821-22		1820-21		1819-20		1818-19		1817-18		1816-17		1815-16		1814-15		1813-14		1812-13		1811-12		1810-11		1809-10		1808-09		1807-08		1806-07		1805-06		1804-05		1803-04		1802-03		1801-02		1800-01		1799-00		1798-99		1797-98		1796-97		1795-96		1794-95		1793-94		1792-93		1791-92		1790-91		1789-90		1788-89		1787-88		1786-87		1785-86		1784-85		1783-84		1782-83		1781-82		1780-81		1779-80		1778-79		1777-78		1776-77		1775-76		1774-75		1773-74		1772-73		1771-72		1770-71		1769-70		1768-69		1767-68		1766-67		1765-66		1764-65		1763-64		1762-63		1761-62		1760-61		1759-60		1758-59		1757-58		1756-57		1755-56		1754-55		1753-54		1752-53		1751-52		1750-51		1749-50		1748-49		1747-48		1746-47		1745-46		1744-45		1743-44		1742-43		1741-42		1740-41		1739-40		1738-39		1737-38		1736-37		1735-36		1734-35		1733-34		1732-33		1731-32		1730-31		1729-30		1728-29		1727-28		1726-27		1725-26		1724-25		1723-24		1722-23		1721-22		1720-21		1719-20		1718-19		1717-18		1716-17		1715-16		1714-15		1713-14		1712-13		1711-12		1710-11		1709-10		1708-09		1707-08		1706-07		1705-06		1704-05		1703-04		1702-03		1701-02		1700-01		1699-00		1698-99		1697-98		1696-97		1695-96		1694-95		1693-94		1692-93		1691-92		1690-91		1689-90		1688-89		1687-88		1686-87		1685-86		1684-85		1683-84		1682-83		1681-82		1680-81		1679-80		1678-79		1677-78		1676-77		1675-76		1674-75		1673-74		1672-73		1671-72		1670-71		1669-70		1668-69		1667-68		1666-67		1665-66		1664-65		1663-64		1662-63		1661-62		1660-61		1659-60		1658-59		1657-58		1656-57		1655-56		1654-55		1653-54		1652-53		1651-52		1650-51		1649-50		1648-49		1647-48		1646-47		1645-46		1644-45		1643-44		1642-43		1641-42		1640-41		1639-40		1638-39		1637-38		1636-37		1635-36		1634-35		1633-34		1632-33		1631-32		1630-31		1629-30		1628-29		1627-28		1626-27		1625-26		1624-25		1623-24		1622-23		1621-22		1620-21		1619-20		1618-19		1617-18		1616-17		1615-16		1614-15		1613-14		1612-13		1611-12		1610-11		1609-10		1608-09		1607-08		1606-07		1605-06		1604-05		1603-04		1602-03		1601-02		1600-01		1599-00		1598-99		1597-98		1596-97		1595-96		1594-95		1593-94		1592-93		1591-92		1590-91		1589-90		1588-89		1587-88		1586-87		1585-86		1584-85		1583-84		1582-83		1581-82		1580-81		1579-80		1578-79		1577-78		1576-77		1575-76		1574-75		1573-74		1572-73		1571-72		1570-71		1569-70		1568-69		1567-68		1566-67		1565-66		1564-65		1563-64		1562-63		1561-62		1560-61		1559-60		1558-59		1557-58		1556-57		1555-56		1554-55		1553-54		1552-53		1551-52		1550-51		1549-50		1548-49		1547-48		1546-47		1545-46		1544-45		1543-44		1542-43		1541-42		1540-41		1539-40		1538-39		1537-38		1536-37		1535-36		1534-35		1533-34		1532-33		1531-32		1530-31		1529-30		1528-29		1527-28		1526-27		1525-26		1524-25		1523-24		1522-23		1521-22		1520-21		1519-20		1518-19		1517-18		1516-17		1515-16		1514-15		1513-14		1512-13		1511-12		1510-11		1509-10		1508-09		1507-08		1506-07		1505-06		1504-05		1503-04		1502-03		1501-02		1500-01		1499-00		1498-99		1497-98		1496-97		1495-96		1494-95		1493-94		1492-93		1491-92		1490-91		1489-90		1488-89		1487-88		1486-87		1485-86		1484-85		1483-84		1482-83		1481-82		1480-81		1479-80		1478-79		1477-78		1476-77		1475-76		1474-75		1473-74		1472-73		1471-72		1470-71		1469-70		1468-69		1467-68		1466-67		1465-66		1464-65		1463-64		1462-63		1461-62		1460-61		1459-60		1458-59		1457-58		1456-57		1455-56		1454-55		1453-54		1452-53		1451-52		1450-51		1449-50		1448-49		1447-48		1446-47		1445-46		1444-45		1443-44		1442-43		1441-42		1440-41		1439-40		1438-39		1437-38		1436-37		1435-36		1434-35		1433-34		1432-33		1431-32		1430-31		1429-30		1428-29		1427-28		1426-27		1425-26		1424-25		1423-24		1422-23		1421-22		1420-21		1419-20		1418-19		1417-18		1416-17		1415-16		1414-15		1413-14		1412-13		1411-12		1410-11		1409-10		1408-09		1407-08		1406-07		1405-06		1404-05		1403-04		1402-03		1401-02		1400-01		1399-00		1398-99		1397-98		1396-97		1395-96		1394-95		1393-94		1392-93		1391-92		1390-91		1389-90		1388-89		1387-88		1386-87		1385-86		1384-85		1383-84		1382-83		1381-82		1380-81		1379-80		1378-79		1377-78		1376-77		1375-76		1374-75		1373-74		1372-73		1371-72		1370-71		1369-70		1368-69		1367-68		1366-67		1365-66		1364-65		1363-64		1362-63		1361-62		1360-61		1359-60		1358-59		1357-58		1356-57		1355-56		1354-55		1353-54		1352-53		1351-52		1350-51		1349-50		1348-49		1347-48		1346-47		1345-46		1344-45		1343-44		1342-43		1341-42		1340-41		1339-40		1338-39		1337-38		1336-37		1335-36		1334-35		1333-34		1332-33		1331-32		1330-31		1329-30		1328-29		1327-28		1326-27		1325-26		1324-25		1323-24		1322-23		1321-22		1320-21		1319-20		1318-19		1317-18		1316-17		1315-16		1314-15		1313-14		1312-13		1311-12		1310-11		1309-10		1308-09		1307-08		1306-07		1305-06		1304-05		1303-04		1302-03		1301-02		1300-01		1299-00		1298-99		1297-98		1296-97		1295-96		1294-95		1293-94		1292-93		1291-92		1290-91		1289-90		1288-89		1287-88		1286-87		1285-86		1284-85		1283-84		1282-83		1281-82		1280-81		1279-80		1278-79		1277-78		1276-77		1275-76		1274-75		1273-74		1272-73		1271-72		1270-71		1269-70		1268-69		1267-68		1266-67		1265-66		1264-65		1263-64		1262-63		1261-62		1260-61		1259-60		1258-59		1257-58		1256-57		1255-56		1254-55		1253-54		1252-53		1251-52		1250-51		1249-50		1248-49		1247-48		1246-47		1245-46		1244-45		1243-44		1242-43		1241-42		1240-41		1239-40		1238-39		1237-38		1236-37		1235-36		1234-35		1233-34		1232-33		1231-32		1230-31		1229-30		1228-29		1227-28		1226-27		1225-26		1224-25		1223-24		1222-23		1221-22		1220-21		1219-20		1218-19		1217-18		1216-17		1215-16		1214-15		1213-14		1212-13		1211-12		1210-11		1209-10		1208-09		1207-08		1206-07		1205-06		1204-05		1203-04		1202-03		1201-02		1200-01		1199-00		1198-99		1197-98		1196-97		1195-96		1194-95		1193-94		1192-93		1191-92		1190-91		1189-90		1188-89		1187-88		1186-87		1185-86		1184-85		1183-84		1182-83		1181-82		1180-81		1179-80		1178-79		1177-78		1176-77		1175-76		1174-75		1173-74		1172-73		1171-72		1170-71		1169-70		1168-69		1167-68		1166-67		1165-66		1164-65		1163-64		1162-63		1161-62		1160-61		1159-60		1158-59		1157-58		1156-57		1155-56		1154-55		1153-54		1152-53		1151-52		1150-51		1149-50		1148-49		1147-48		1146-47		1145-46		1144-45		1143-44		1142-43		1141-42		1140-41		1139-40		1138-39		1137-38		1136-37		1135-36		1134-35		1133-34		1132-33		1131-32		1130-31		1129-30		1128-29		1127-28		1126-27		1125-26		1124-25		1123-24		1122-23		1121-22		1120-21		1119-20		1118-19		1117-18		1116-17		1115-16		1114-15		1113-14		1112-13		1111-12		1110-11		1109-10		1108-09		1107-08		1106-07		1105-06		1104-05		1103-04		1102-03		1101-02		1100-01		1099-00		1098-99		1097-98		1096-97		1095-96		1094-95		1093-94		1092-93		1091-92		1090-91		1089-90		1088-89		1087-88		1086-87		1085-86		1084-85		1083-84		1082-83		1081-82		1080-81		1079-80		1078-79		1077-78		1076-77		1075-76		1074-75		1073-74		1072-73		1071-72		1070-71		1069-70		1068-69		1067-68		1066-67		1065-66		1064-65		1063-64		1062-63		1061-62		1060-61		1059-60		1058-59		1057-58		1056-57		1055-56			
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

Annexure-A-V सी नमरिंग सूची वर्ष 1991-92 (D)

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
301	bx	601	bx	621	bx
302	bx	602	bx	622	bx
303	bx	603	bx	623	bx
304	bx	604	bx	624	bx
305	bx	605	bx	625	bx
306	bx	606	bx	626	bx
307	bx	607	bx	627	bx
308	bx	608	bx	628	bx
309	bx	609	bx	629	bx
310	bx	610	bx	630	bx
311	bx	611	bx	631	bx
312	bx	612	bx	632	bx
313	bx	613	bx	633	bx
314	bx	614	bx	634	bx
315	bx	615	bx	635	bx
316	bx	616	bx	636	bx
317	bx	617	bx	637	bx
318	bx	618	bx	638	bx
319	bx	619	bx	639	bx
320	bx	620	bx	640	bx
321	bx	621	bx	641	bx
322	bx	622	bx	642	bx
323	bx	623	bx	643	bx
324	bx	624	bx	644	bx
325	bx	625	bx	645	bx
326	bx	626	bx	646	bx
327	bx	627	bx	647	bx
328	bx	628	bx	648	bx
329	bx	629	bx	649	bx
330	bx	630	bx	650	bx
331	bx	631	bx	651	bx
332	bx	632	bx	652	bx
333	bx	633	bx	653	bx
334	bx	634	bx	654	bx
335	bx	635	bx	655	bx
336	bx	636	bx	656	bx
337	bx	637	bx	657	bx
338	bx	638	bx	658	bx
339	bx	639	bx	659	bx
340	bx	640	bx	660	bx
341	bx	641	bx	661	bx
342	bx	642	bx	662	bx
343	bx	643	bx	663	bx
344	bx	644	bx	664	bx
345	bx	645	bx	665	bx
346	bx	646	bx	666	bx
347	bx	647	bx	667	bx
348	bx	648	bx	668	bx
349	bx	649	bx	669	bx
350	bx	650	bx	670	bx
351	bx	651	bx	671	bx
352	bx	652	bx	672	bx
353	bx	653	bx	673	bx
354	bx	654	bx	674	bx
355	bx	655	bx	675	bx
356	bx	656	bx	676	bx
357	bx	657	bx	677	bx
358	bx	658	bx	678	bx
359	bx	659	bx	679	bx
360	bx	660	bx	680	bx
361	bx	661	bx	681	bx
362	bx	662	bx	682	bx
363	bx	663	bx	683	bx
364	bx	664	bx	684	bx
365	bx	665	bx	685	bx
366	bx	666	bx	686	bx
367	bx	667	bx	687	bx
368	bx	668	bx	688	bx
369	bx	669	bx	689	bx
370	bx	670	bx	690	bx
371	bx	671	bx	691	bx
372	bx	672	bx	692	bx
373	bx	673	bx	693	bx
374	bx	674	bx	694	bx
375	bx	675	bx	695	bx
376	bx	676	bx	696	bx
377	bx	677	bx	697	bx
378	bx	678	bx	698	bx
379	bx	679	bx	699	bx
380	bx	680	bx	700	bx

[illegible]

X11	co	X29	co	X19	cc
X12	co	X22	co	X12	co
X13	co	X22	co	X12	co
X14	co	X28	co	X14	co
X15	co	X22	co	X12	cc
X16	co	X24	co	X14	cc
X17	co	X26	co	X16	cc
X18	co	X28	co	X18	cc
X19	co	X30	co	X20	cc
X20	co	X32	co	X22	cc
X21	co	X34	co	X24	cc
X22	co	X36	co	X26	cc
X23	co	X38	co	X28	cc
X24	co	X40	co	X30	cc
X25	co	X42	co	X32	cc
X26	co	X44	co	X34	cc
X27	co	X46	co	X36	cc
X28	co	X48	co	X38	cc
X29	co	X50	co	X40	cc
X30	co			X42	cc
X31	co			X44	cc
X32	co			X46	cc
X33	co			X48	cc
X34	co			X50	cc
X35	co				
X36	co				
X37	co				
X38	co				
X39	co				
X40	co				
X41	co				
X42	co				
X43	co				
X44	co				
X45	co				
X46	co				
X47	co				
X48	co				
X49	co				
X50	co				

Annexure-A-VI

मूल बनी बनी वर्ष 1956-57 व वर्ष 1991-92 के आधार पर पुराने सरे नम्बरो की वर्तमान लिपि

(1)

मूल सरे न	रकबा (एकड़ में)	मद नलीन नम्बर	रकबा (एकड़ में)	
41	17.66 (7.158)	438	4.77	चरोखर
		439	1.83	
			6.60	
42	135.14 (54.69)	440	4.08	का का
	(हैर)	446	0.61	नाला
		447	0.36	ना का
		448	1.29	
		449	0.20	
		450	0.80	
		451	1.03	रा.मंगल
		452	0.16	नाला
		453	1.65	ना. का
		456	0.65	ना. का
		457	3.69	ना. का
		458	3.19	ना. का
		459	1.83	ना. का
		460	0.66	नाला
		461	1.53	ना. का
		462	0.90	ना. का
		463	1.25	ना. का
		464	3.48	ना. का
		465	0.97	ना. का
		466	0.96	ना. का

(3)

80 31.90 ~~हरे~~

501	1.27	श. जगल
502	0.95	—
503	0.04	श. जगल
504	0.08	मिनी
505	0.84	मिनी
506	0.30	श. जगल
507	1.72	श. जगल
508	0.16	श. जगल
509	0.39	—
510	0.48	मिनी
511	0.55	जगल
512	0.34	श. जगल
513	1.30	श. जगल
514	0.59	श. जगल
515	7.15	श. जगल
516	0.21	—
517	0.07	श. जगल
518	6.17	श. जगल
519	0.11	नाला
520	0.22	श. मिनी
521	0.83	मिनी
522	0.25	मिनी
523	2.19	श. जगल
524	1.52	श. जगल
635	0.50	मिनी
636	0.99	मिनी
639	0.44	मिनी
643	0.60	मिनी
656	0.48	मिनी
653	0.44	मिनी
योग		69.49

(2)

00

42

20.47 ↓

467	0.35	ना. को
468	1.72	ना. को
469	0.91	ना. को
471	0.32	ना. को
472	0.20	ना. को
473	1.29	ना. को
474	0.25	ना. को
475	0.81	क्षेत्रात्

34.22

80 7882

37.591

430	6.10	चरोखर
431	0.31	चरोखर
432	3.99	चरोखर
433	0.27	श. जगल
434	8.15	श. जगल
435	1.57	श. जगल
436	1.37	श. जगल
437	1.48	रादगा
439	0.70	रादगा
495	1.89	श. जगल
496	10.25	श. जगल
497	0.64	श. जगल
498	0.42	श. जगल
499	1.39	श. जगल

(4)

81 38.80 - (15.70) 476

476	0.06	शरणा
477	0.46	नाकी
478	1.32	नाकी
479	2.39	✓
480	1.03	✓
481	1.25	✓
482	0.29	✓
483	1.82	✓
484	0.23	✓
485	1.09	✓
486	1.48	✓
487	3.34	माकि

14.79


★ राजगल = राजलत जंगल

मिल बन्दोबस्त वर्ष 1956-57 एवं वर्ष 1991-92 के
अध्यापक उम्मेद्वर प्रहृ कृमाड 01 वे 04 तडु तैमाह
की गली।

Blue
pnn 41

पुराना मैप ऑफ
जमशेरी
 सिविल इंज. रेज. ओवर, सिविल - शाहपुरा
 जमशेरी - मीर, सेक्टर - ५, १ मील
 रस्ता मील. ५८०१-६२ टंक





Annexure-B


DETAILS OF PLANNED STRUCTURES WHICH WILL FACILITATE AS UNDERPASSES FOR MOVEMENT OF ANIMALS											
SN	Forest Area Under Diversion				Proposed Opening/ Underpass/ Viaduct	Type	Proposed Size of Structure				
	Location with respect to Railway km		Length (m)	Area (Ha)			Number of span	Width per span (m)	Total width (m)	Height (m)	Openness Ratio
	From	To									
1	77.952	78.04	88	0.286	Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
2	80.029	81.134	1105	6.368	Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
					Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
					Bridge	RCC BOX	1	6	6	3	2
					Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
3	98.843	99.755	912	5.528	Cutting area (10 to 12 m deep). Fencing will be provided on top of cutting						
4	101.342	101.627	285	0.917	Bridge	RCC BOX	1	6	6	3	2
5	111.02	111.581	561	4.224	Bridge	Open Web Girder	5	30.5	152.5	15	10
6	111.971	112.296	325	1.334							
7	112.822	113.08	258	0.884							
8	114.921	117.431	2510	6.511	Bridge	PSC SLAB	1	12.2	12.2	6	2
					Viaduct	Composite Girder	49	30.5	1495	15	100
9	117.936	122.425	4489	65.406	Viaduct	Composite Girder	18	30.5	549	15	37
10	122.786	127.502	4716	55.408	Viaduct	Composite Girder	42	30.5	1281	15	85
					Bridge	Open Web Girder	29	30.5	885	15	59
					Bridge	RCC BOX	1	6	6	3	2
					Bridge	PSC SLAB	1	12.2	12.2	6	2

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ
पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
W.R.L.Y., Pratapnagar, VADODARA

DETAILS OF PLANNED STRUCTURES WHICH WILL FACILITATE AS UNDERPASSES FOR MOVEMENT OF ANIMALS											
SN	Forest Area Under Diversion				Proposed Opening/ Underpass/ Viaduct	Type	Proposed Size of Structure				
	Location with respect to Railway km		Length (m)	Area (Ha)			Number of span	Width per span (m)	Total width (m)	Height (m)	Openness Ratio
11	127.758	128.135	377	1.844	Viaduct	Composite Girder	109	30.5	3325	15	222
12	128.541	128.825	284	0.553							
13	129.685	130.695	1010	12.024							
14	130.827	138.356	7529	82.753	Bridge	Open Web Girder	17	30.5	519	15	35
					Bridge	Open Web Girder	2	91	182	45	4
					Viaduct	Composite Girder	54	30.5	1647	25	66
					Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
					Bridge	PSC SLAB	1	6.1	6.1	3	2
					Bridge	PSC SLAB	1	12.2	12.2	6	2
TOTAL			24449	244.039					11074.5		42

NOTE:

1	With implementation of above structures about 42% of the railway track in forest area would be under mitigation measures and will facilitate movement of animals, if any..
2	Dimensions of all proposed structures as above involve the " openness ratio" of much more than minimum 2.0 so that animals get an unobstructed view of the habitat.


 (Padam Singh Meena)
 Dy. Chief Engineer (Construction) III,
 Western Railway, Vadodra-390 004
 पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा
 Dy. CHIEF ENGINEER (C) IV
 W.RLY, Pratapnagar, VADODARA

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर वनमण्डल (अलीराजपुर म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बड़ौदा रोड़, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/1981

प्रति,

अलीराजपुर दिनांक : 21-04-25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :-

धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वनमण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हेक्टेयर) पश्चिम रेलवे बड़ौदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ :-

- 1) भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 18.03.2025।
- 2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/956 दिनांक 19.03.2025।

— ★ —

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से चाही गई 08 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार व पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

I	In compliance of condition no. (II) it is to mention that the Advisory Committee during discussion has observed that the proposal was earlier considered in REC meeting of RO, Bhopal wherein the committee was informed that the forest area of 6.654 ha is alleged to be under violation. Further as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having Eco-Class 3 and Density 0.4 and NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha. Therefore the user agency has deposited needs to deposited Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency needs to deposited Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. However the user agency needs to deposited the balance amount Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA accounts.	धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन प्रकरण अंतर्गत प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर ईको क्लास-03, खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) अंतर्गत आती है। प्रभावित वनभूमि पर कोई वृक्ष नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC9Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार रिक्त वनक्षेत्र हेतु राशि 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर लेने के निर्देश है। आवेदक संस्था द्वारा 4.50 हेक्टेयर वनभूमि पर उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया गया, जिसके संबंध में आवेदक विभाग द्वारा राशि 957780/- की दर से उल्लंघन में प्रभावित वनभूमि 4.50 हेक्टेयर की पॉच गुना नेट प्रेजेन्ट वैल्यु राशि 21550050/- कैम्पा मद में जमा की गई।
II	In compliance of condition no. (iii) the State Government has not initiated action under section 3a and/or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provision of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The reason justification for the discrepancy between the forest and revenue record shall also be provided.	धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन 6.654 हेक्टेयर अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारणवश कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहित कर रेलवे विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि संरक्षित वन घोषित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस कारण से आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर निर्माण कार्य किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन रोकने में असमर्थ रहने के संबंध में दोषी पाये गये वन अधिकारीयों/कर्मचारियों को लघुशास्ती परिनिन्दा से दण्डित किया गया।
V	In compliance of condition no. (viii), it is to mention that as per details available in online Part-II proposed area for diversion is having Eco-Class 3 and Density 0.4 and NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha. Therefore the user agency has deposited needs to deposited Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency needs to deposited Rs. 23,37,35,673	धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन प्रकरण अंतर्गत प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर ईको क्लास-03, खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) अंतर्गत आती है। प्रभावित वनभूमि पर कोई वृक्ष नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन

against against NPV. However the user agency needs to deposited the balance amount Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA accounts.

मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC9Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार रिक्त वनक्षेत्र हेतु राशि 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर लेने के निर्देश है। जिसके संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डल अलीराजपुर में कुल प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर की नेट प्रेजेन्ट वैल्यु राशि 63,73,068/- कैम्पा मद में जमा की गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

पृष्ठ क्रमांक/मा.चि./2025/ 1982
प्रतिलिपी:-

अलीराजपुर दिनांक : 21-04-25

1. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल

माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

Phon 07292-222250, Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/3345

धार, दिनांक 23/04/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय :- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा-उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हे0 वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हे0 वनभूमि कुल 244.039 हे0 वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे0) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MPRAIL/154962/2022)

संदर्भ :- 01 भारत सरकार, पर्यावण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली का पत्र दिनांक 18.03.2025

02 आपका पत्र क./956 दिनांक 19.03.2025

03 No. BRC/W/115/29(Forest) दिनांक 28.03.2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्रों से चाही गई 01 से 08 बिंदुओं की जानकारी निम्नानुसार एवं पत्र के साथ संलग्न है।

i	In compliance of condition no. (ii), it is to mention that the Advisory Committee during discussion has observed that the proposal was earlier considered in REC meeting of RO, Bhopal wherein the committee was informed that the forest area of 6.654 ha is alleged to be under violation. Further as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having Eco-Class 3 and Density 0.4 and NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha. Therefore, the user agency needs to deposit Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. Therefore, the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.	उक्त बिन्दु की जानकारी वन मण्डल अलीराजपुर से संबंधित है।
---	---	--

ii	In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The reason justification for the discrepancy between the forest and revenue record shall also be provided.	उक्त बिन्दु की जानकारी वन मण्डल अलीराजपुर से संबंधित है।
iii	In compliance of condition no.(v), the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions has not been submitted.	उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपको प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न है।
iv	In compliance of condition no.(vi), a certificate that only 244.039 ha area is required for the project has not been submitted.	उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपको प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न है।
v	In compliance of condition no.(vii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having Eco-Class 3 and Density 0.4 and NPV rates for the same is RS. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore, on the user agency needs to deposited Rs. 29,98,23,875 against NPV. However, the user agency has deposited Rs. 23,37,35,673 against NPV. Therefore, the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA amount.	धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा-उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धार वन मण्डल की 237.385 हे० वनभूमि ईको क्लास-3, खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) अंतर्गत आती है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार रिक्त वनक्षेत्र हेतु राशि 9,57,780/- प्रति हे० लेने के निर्देश है। जिसके संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डल धार में कुल प्रभावित वनभूमि 237.385 हे० की एन.पी.वी. की राशि रु. 23,37,35,673/- केम्पा मद जमा की गई है।
vi	In compliance of condition no.(xiv), the user agency has not submitted a duly approved scheme related to comprehensive soil conservation measures.	उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपको प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न है।
vii	In compliance of condition no.(xvii), the KML file of Stage-I approved forest land and degraded forest land approved for CA has not been found uploaded on e-Green watch portal.	उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपको प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न है।

viii	The User Agency has not submitted necessary undertakings with regard to conditions no.(xix), (xxvii) of Stage-I approval.	उक्त बिन्दु की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपको प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न है।
------	---	--

अतः प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धारः.

पृ0क्रमांक/मा.चि./2025/3346

धार, दिनांक 23/04/2025

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षे0) इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धार